

पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0612-2219110/111
फैक्स नं० 0612-221899
E-mail:- dismgmtpatna@gmail.com
dm.patna.bih@nic.

आदेश

संयुक्त राचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक--01/आ0प्र0, दिनांक 11.04.16, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि-लघुशीर्ष-112- जनसंख्या का निष्क्रमण उप शीर्ष-0002 जनसंख्या का निष्क्रमण विपत्र कोड-एन2245021120002 मद में 6000000.00 (साठ लाख) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या-39

विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

क्र०	उपावटित पदाधिकारी का नाम	मद का नाम		
		पूर्व उपावटित राशि	वर्तमान उपावटित राशि	कुल योग
01	02	03	04	05
1	प्रभारी उप समाहर्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना।	-	6000000.00	6000000.00
	कुल योग:-		6000000.00	6000000.00

- (2) इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02, बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण उप शीर्ष-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण विपत्र कोड- एन2245021120002 मद के अन्तर्गत विधान मंडल से पारित बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2016 द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (3) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य में मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- (4) आवंटित की गई सहाय्य अनुदान की राशि की निकासी **BTC Form-42** में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **BTC Form-42A** में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (5) पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
- (6) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0612-2219116

फैक्स नं० 0612-2211

E-mail- dismgmtpatna@gmail.com

dim-patna.bih@ni

- (7) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के झापांक-2561बी0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किय जा रहा है।
- (8) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
अचुलग्नक-गूल आवंटन पत्र की प्रति।

हरे

जिला पदाधिकारी,
पटना।

झापांक.....654/आ0प्र0, दिनांक.....27/7/16

- प्रतिलिपि:- नाजिर आपदा प्रबंधन शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटन आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
- प्रतिलिपि:- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक-01/आ0प्र0, दिनांक 11.04.16, के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, गंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

he
27/7

जिला पदाधिकारी,
पटना।

Shreshth

(14)